

संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2025 को 03:00 बजे अपराहन में अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ एवं अन्य यूनियन द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

प्रबंधन पक्ष

1. श्री विनोद प्रसाद — उप महाप्रबंधक, (कार्मिक), NBPDCCL
Mob No-7004163572

कामगार पक्ष

1. श्री सुधीर चौधरी — अपर महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001
Mob No-9910228194
2. श्री डी०पी० यादव — सचिव, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदिरी, पटना/
उप महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदिरी, पटना/
महामंत्री, बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड पेन्सनर्स फोरम,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदिरी, पटना/
उप महासचिव, एटक, बिहार
Mob No-9934336044
3. श्री धर्म देव सिंह — उप महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
दक्षिणी मंदिरी, पटना
Mob No-9905914521
4. श्री अशोक कुमार मिश्रा — कार्यकारिणी-सह-मीडीया प्रभारी, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स
यूनियन, बिहार, M.No-7903266557,
Email-mishraashok973@gmail.com

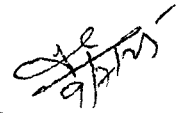
सर्वप्रथम कामगार पक्ष द्वारा प्रबंधन पक्ष को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता में उपस्थित सभी सदस्यों का संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा पूर्व वार्ता में निर्धारित एजेन्डा (i. तदेन विद्युत बोर्ड की अवधि से ही कार्यरत तकनीकी संवर्ग के अदक्ष श्रमिक एवं दक्ष श्रमिक को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार से वंचित रखना, ii. लिपिकीय संवर्ग से अवनत कामगारों के समायोजन में आपके कार्यालय की दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता के कारण न्याय नहीं मिलना, iv. आपूर्ति के क्षेत्रों में स्थापित शक्ति उपकेन्द्रों में बटन-पट-चालकों से अकेला कार्य लेने की गलत प्रथा एवं वहां फ्युज कॉल सेन्टर की व्यवस्था से दुर्घटना में इजाफा) के अनुसार वार्ता की गई।

बिन्दु संख्या-(i) एवं (ii) पर प्रबंधन पक्ष द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने के कारण इस पर वार्ता नहीं की जा सकी।

iv) आपूर्ति के क्षेत्रों में स्थापित शक्ति उपकेन्द्रों में बटन-पट-चालकों से अकेला कार्य लेने की गलत प्रथा एवं वहां फ्युज कॉल सेन्टर की व्यवस्था से दुर्घटना में इजाफा— यह बिन्दु आंशिक रूप से अनुपालित है। NBPDCCL के द्वारा निर्गत आदेश संख्या-734, दिनांक-06.06.2025 के द्वारा यह व्यवस्था अक्टूबर तक के लिए है, जबकि कामगार पक्ष द्वारा हमेशा के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया गया है। BSPHCL एवं SBPDCL के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहने के कारण वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं हो पायी।

प्रबंधन पक्ष के अनुरोध एवं श्रमिक पक्षों की सहमति से सम्यक विचारोपरांत वार्ता की अगली तिथि-05.08.2025 को अपराह्न 03:00 बजे निर्धारित की गई। उभय पक्ष उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के साथ विवादवार अपना-अपना पक्ष लेकर वार्ता में भाग लेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

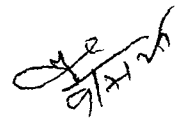


(विजय कुमार)

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 4066 पटना, दिनांक- 09/07/2025

प्रतिलिपि- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

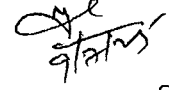


संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 4066

पटना, दिनांक- 09/07/2025

प्रतिलिपि- प्रबंधन पक्ष/कामगार पक्ष के सभी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

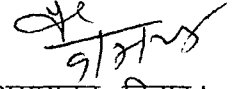


संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 4066

पटना, दिनांक- 09/07/2025

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।